

के. वि. काशीपुर

बालवाटिका कक्षाओं और कक्षा 1 के लिए प्रवेश दस्तावेज़

सत्र: 2023-2024

- जिन अभिभावकों के बच्चों को के. वि. काशीपुर में बालवाटिका कक्षा 1 और 2 में प्रवेश के लिए अनंतिम रूप से चुना गया है, उनसे अनुरोध है कि वे प्रवेश के लिए 19.04.2023 तक अवश्य रिपोर्ट करें।
- अन्य अनंतिम प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों के अभिभावकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों के प्रवेश अनुसूची के बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट का अनुसरण करें।
- यदि अभिभावक निर्धारित समय के 1-2 दिनों के भीतर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो सूची/प्रतीक्षा-सूची में अगले उम्मीदवार को प्रवेश के लिए बुलाया जाएगा।
- उनके ईमेल से ऑनलाइन भरे गए Google पंजीकरण फॉर्म का प्रिंटआउट लाना होगा।
- पंजीकरण फॉर्म में उम्मीदवार के दो नये पासपोर्ट आकार की तस्वीर संलग्न की जानी चाहिए।
- उम्मीदवार के जन्म प्रमाण पत्र की मूल और स्वप्रमाणित ज़ेरॉक्स प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
- उम्मीदवार/पिता के प्रतिस्पर्धी प्राधिकारी से एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/बीपीएल प्रमाण पत्र की मूल और स्वप्रमाणित ज़ेरॉक्स प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
- बालवाटिका के तहत चयनित आरटीई अभ्यर्थियों के लिए स्कूल और निवास के बीच की दूरी की स्वघोषित प्रोफ़ार्मा जमा करना अनिवार्य है।
- आर.टी.ई. श्रेणी के तहत चयनित होने वाले छात्र को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि माता-पिता आरटीई सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो बच्चों के शिक्षा भत्ते के संबंध में उनके विभाग (कामकाजी माता-पिता के मामले में) से प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है।
- आवासीय पते की मूल और स्वप्रमाणित ज़ेरॉक्स प्रति (बैंक पासबुक/बिजली बिल/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/किरायेदार समझौता/गैस कनेक्शन ब्लूबुक आदि में से कोई भी) संलग्न की जानी चाहिए।
- यदि माता-पिता की सेवा के आधार पर प्रवेश माँगा जा रहा है तो श्रेणी 1,2,3 और 4 के तहत काम करने वाले माता-पिता के मामले में, आधिकारिक लेटरहेड में माता-पिता का एक सेवा प्रमाण पत्र, जिस पर कार्यालय प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी हो, पदनाम और अन्य प्रासंगिक विवरण बड़े अक्षरों में प्रोफार्मा में संलग्न की जानी चाहिए।
- श्रेणी 1,2,3 और 4 के तहत काम करने वाले अभिभावकों के मामले में और यदि अभिभावकों ने प्रवेश पत्र में स्थानांतरण विवरण भरा है, तो 7 वर्षों के दौरान स्थानांतरण की संख्या दर्शाने वाला एक सेवा प्रमाण पत्र प्रोफार्मा में स्थानांतरण विवरण और कार्यालय के प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगाकर संलग्न की जानी चाहिए।
- श्रेणी 1,2,3 एवं 4 के अभिभावकों की पिछले तीन माह की नवीनतम मूल वेतन पर्चियां जिसके आधार पर प्रवेश माँगा गया है, संलग्न की जानी चाहिए।
- यदि अभिभावक उग्रवाद क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो कोई आवास सेवा प्रमाणपत्र नहीं चाहिए।
- सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से दिव्यांग प्रमाणपत्र, जो स्पष्ट रूप से दिव्यांगता के प्रकार और प्रतिशत को दर्शाता है, संलग्न की जानी चाहिए।
- वर्दीधारी रक्षा कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र या पीपीओ पेपर संलग्न की जानी चाहिए।
- एक मेडिकल दस्तावेज़ जिसमें बच्चे का ब्लड ग्रुप हो, संलग्न की जानी चाहिए।
- बच्चे के आधार कार्ड की मूल और स्वप्रमाणित ज़ेरॉक्स कॉपी संलग्न की जानी चाहिए (अनिवार्य नहीं)।

नोट:

- केवल पंजीकरण से प्रवेश के अधिकार की पुष्टि नहीं होगी।
- अपूर्ण आवेदन पत्र सामान्यतः अस्वीकार कर दिये जायेंगे।
- रिक्तियां रहने की स्थिति में प्राचार्य अपने विवेक से आवेदन पत्र पूरा करने की अनुमति दे सकते हैं।
- किसी भी गलत प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त प्रवेश को प्राचार्य द्वारा तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और प्राचार्य की ऐसी कार्रवाई के खिलाफ किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

अस्वीकरण: कोई भी गलत जानकारी प्रदान करने या अपलोड किए गए दस्तावेजों का मूल प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ होने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है और छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है।